AAO

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय,
01, राज विहार, चकराता रोड़, देहरादून।

संख्या 371 /नि0मु0/लेखा/चालक/परि0/2012 दिनांक,16 मार्च, 2012

समस्त सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून/नैनीताल/टनकपुर।

विषयः— **एजेन्सी के माध्यम से/संविदा के आधार पर नियोजित चालक/परिचालक के मानदेयकों तैयार किये जाने के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन।**

1. चालक/परिचालक की उपस्थिति पंजिका में तिथिवार अंकित किमी0 पर किसी भी तरह की ओवर राईटिंग तथा सफेदा (फ्लूड) प्रयोग वर्जित है। यदि कोई कटिंग अपरिर्हय हो तो सक्षम स्तर पर कटिंग उपरान्त सूक्ष्म हस्ताक्षर करते हुये हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/कार्मिक का नाम अवश्य उल्लिखित किया जाये।
2. चालक/परिचालक की उपस्थित पंजिका में अंकित उपस्थिति तथा अर्जित किमी0 का प्रत्येक दिन सत्यापन केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जायेगा, इसके साथ ही साथ प्रत्येक माह के अन्त में डिपो सहायक महाप्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। मण्डलीय प्रबन्धक अपने डिपो निरीक्षण के समय इस तथ्य का अनुपालन किये जाने की पुष्टि करेगें तथा सहायक महाप्रबन्धक (वित्त)/सहायक लेखाधिकारी (आडिट) अपने नियमित आडिट रिपोर्ट पर नियमित बिन्दु के रूप में इसे शामिल करते हुये आडिट रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करेंगे।
3. सहायक महाप्रबन्धक अथवा अन्य उच्च स्तरों से चालक/परिचालकों के कटौती/रिकवरी से सम्बन्धित जो आदेश किये जाते है उसका डिपो स्तर पर रजिस्टर मैन्टेन करते हुये प्रत्येक माह यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि समस्त कटौती की रिकवरी चालक/परिचालक से कर दी गई है। डिपो लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी (आडिट)/सहायक महाप्रबन्धक (वित्त) निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित चालक/परिचालको से समस्त कटौती कर ली गयी है।
4. डिपो स्तर पर कटौती से सम्बन्धित एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें समस्त प्रकार की कटौतियॉ तिथिवार तथा संवर्ग वार रखी जायेगी। इस रजिस्टर का रख–रखाव सम्बन्धित डिपो के स्थापना लिपिक द्वारा किया जायेगा। वेतन लिपिक की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि भुगतान हेतु प्रस्तुत देयकों के भुगतान से पूर्व वह समस्त कटौतियॉ सुनिश्चित कर ली गई है। डिपो के सम्बन्धित सहायक महाप्रबन्धक प्रत्येक माह निर्देशित कटौती की समीक्षा करते हुये वसूली सुनिश्चित करायेगें।

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
देहरादून
17/3/16

5. निगम मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि डिपो स्तर पर कुछ सहायक महाप्रबन्धको/मण्डलीय प्रबन्धकों द्वारा एजेन्सी चालक/परिचालक की गलती पर उसकी प्रतिभूति जब्त करने के आदेश जारी करते है जो नियमानुसार उचित नहीं है क्योकि किसी चालक/परिचालक की कोई प्रतिभूति निगम कोष में जमा नहीं है। ऐसी स्थिति में चालक/परिचालक की प्रतिभूति राशि जब्त करने के जो भी आदेश हो वे मुख्यालय के सहायक महाप्रबन्धक (वित्त) को पृष्ठाकिंत किये जाये तथा प्रतिभूति के संमतुल्य धनराशि की कटौती ऐजन्सी के बिल से करते हुये मुख्यालय को अवगत कराये।
6. इस कार्यालय के पत्र सं0–20/एच0क्यू0/एजेन्सी चालक/परि0/दिनांक 02 मार्च 2012 के द्वारा डिपो को निर्देशित किया गया है कि एजेन्सी चालक/परिचालक के बिल तीन प्रतियों में तैयार किये जायेगें। उक्त निर्देशों के तहत जो भी बिल बनाये जाये **वो डबल कार्बन के कम्प्यूटाईज पेपर पर तैयार किये जाये। यदि डिपो स्तर पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर न हो तो डी0जी0एस0एन0डी0 की दर पर उपलब्ध प्रिंटर मण्डलीय प्रबन्धक (तकनीकी) के स्तर से डिमाण्ड कर खरीदे जाने की कार्यवाही की जाये। जिसकी प्रतिपूर्ति मुख्यालय द्वारा कर ली जायेगी।**

(शैलेश बगौली)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन/तकनीकी), उत्तराखण्ड परिवहन निगम को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उल्लिखित बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये।
2. सहायक लेखाधिकारी (आडिट) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 1962 DDN
3. गार्ड फाईल मुख्यालय।

प्रबन्ध निदेशक